संख्या- 179 /XIV-1/2005-1(2)/2005

प्रेषक,

नवीन चन्द शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन.

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तरांचल अल्मोड़ा.

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक: 8-12- नवम्बर 2005

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक परिवहन पर राज सहायता (राज्य सेक्टर) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2836/नियोजन/उर्वरक/2005-06 दिनांक 31.8.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र में उर्वरक परिवहन पर राज सहायता मद में कुल रू0 45.00 लाख (रू0 पैंतालीस लाख मात्र) धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने के महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है.

2. इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय, उक्त धनराशि की जनपदवार फाट यथा शीघ्र शासन को उपलब्ध कराई जाय.

3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में इस मद में पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही इस धनराशि का आहरण एवं व्यय किया जायेगा.

4. सभी कार्यक्रमों का जनपदवार वार्षिक एवं मासिक लक्ष्यों का निर्धारण भी तत्काल कर लिया जाय, तथा फील्ड स्तर पर भी निर्धारित किये गये लक्ष्यों की सूचना उपलब्ध करा दी जाय.

5. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त धनराशि केवल चालू एवं पूर्व अनुमोदित कार्यों/मदों पर ही व्यय की जाय, तथा किसी ऐसे कार्य/मद पर धनराशि व्यय न की जाय, जो योजना में स्वीकृत नहीं है,

6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निश्चित रूप से उन्हीं मदों पर किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है, यदि उसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी.

7. उक्त स्वीकृत धनराशि का योजनावार व्यय विवरण प्रत्येक माह या उसके अगले माह की 5 तारीख तक यो.एम.-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग शासन तथा महालेखाकार को भिजवाना सुनिश्चित करें.

8. उक्त व्यय शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय, जिसके लिए

वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित है. प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है. व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय. वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाय.

९. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष २००5-06 के लेखानुदान में अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2425-सहकारिता-आयोजनागत-00-800-अन्य व्यय-09-उर्वरक परिवहन पर राज सहायता -00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा.

10. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या- 49/वित्त अनुभाग-4/2004/दिनांक 22.11.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय,

(नवीन चन्द शर्मा)
सचिव.

संख्या-779(1)/XIV-1/2005-1(8)/2005/तद्दिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून.
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी.
3. कोषाधिकारी/जिलाधिकारी, उत्तरांचल अल्मोड़ा.
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त, 23 लक्ष्मी रोड देहरादून.
5. सचिव, वित्त विभाग, वित्त अनुभाग-4 उत्तरांचल शासन.
6. समस्त जिला सहायक निबन्धक, उत्तरांचल.
7. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर उत्तरांचल.
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय उत्तरांचल.
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल.
10. गार्ड फाईल.

आज्ञा से,

(के0एस0दरियाल)
अपर सचिव.